

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 24.03.2025

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा चोरी की 01 चार पहिया पिकअप व 05 राशि गोवंश के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानाबाद मजरा लक्ष्मणपुर बाग से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना प्रयुक्त चोरी की 01 चार पहिया पिकअप व 05 राशि गोवंश बरामद

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 23.03.2025 की रात्रि को आरोपियों द्वारा ग्राम जहानाबाद मजरा लक्ष्मणपुर बाग में एक पिकअप चारपहिया गाड़ी में गोवंश लादते हुये । थाना हथिगवां पुलिस द्वारा पकड़कर थाना स्थानीय पर उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 54/25 धारा 318(2)/336 (3) BNS व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 04 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना स्थल से 01 अभियुक्त को मय 01 चार पहिया पिकअप व 05 राशि गोवंश के साथ गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 23.03.2025 को उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह, उ0नि0 रघुवीरदास रस्तोगी, का0 विपिन सारस्वत, का0 गौरव सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. लल्लूराम यादव पुत्र गयादीन यादव निवासी ग्राम जहानाबाद मजरे लक्ष्मणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को 01 चार पहिया पिकअप व 05 राशि गोवंश के साथ हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानाबाद मजरा लक्ष्मणपुर बाग से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 54/25 धारा 318(2)/336 (3) BNS व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया व अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1-लल्लूराम यादव पुत्र गयादीन यादव निवासी ग्राम जहानाबाद मजरे लक्ष्मणपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह, उ0नि0 रघुवीरदास रस्तोगी, का0 विपिन सारस्वत, का0 गौरव सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद- प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत कार्यालय के पास नहर पुलिया से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 01 मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट, 01 अदद गद्दा, 02 अदद रजाई, व स्टील, तांबे के कुछ घरेलू बर्तन किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21/22.03.2025 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत वादी निवासी ग्राम महियामऊ में आरोपियों द्वारा वादी के घर में घुस कर सामान चोरी करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु०अ०सं० 48/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त व 01 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना जेठवारा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ०नि० श्री राजीव वर्मा मय हमराह का० आशुतोष चौबे, का० जयप्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.03.2025 को थाना जेठवारा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-48/25 धारा 331 (4) / 305 बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1- हीरालाल पाण्डेय पुत्र काशीनाथ पाण्डेय नि० बजवा पार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ व 2- अमित यादव उर्फ कल्लू पुत्र रामदुलारे यादव नि० लक्ष्मण का पुरवा महियामऊ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 01 मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट, 01 अदद गद्दा, 02 अदद रजाई, व स्टील, तांबे के कुछ घरेलू बर्तन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- हीरालाल पाण्डेय पुत्र काशीनाथ पाण्डेय नि० बजवा पार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2- अमित यादव उर्फ कल्लू पुत्र रामदुलारे यादव नि० लक्ष्मण का पुरवा महियामऊ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुए एक स्वर में बता रहे हैं कि जो गद्दा व रजाई तथा बोरी में बर्तन है। यह सब मेरे ही परिवार के दीपक पाण्डेय का है। हम दोनों लोगो ने उनके घर में घुसकर दिनांक 21/22/03.2025 को यह सामान चोरी किया था। आज इसे मौका पाकर बेचने के लिये जा रहे थे। रास्ते में आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

बरामदगी- चोरी के 01 मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट, 01 अदद गद्दा, 02 अदद रजाई, व स्टील, तांबे के कुछ घरेलू बर्तन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष चौबे, का0 जयप्रकाश यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस की बड़ी कार्यवाही-

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने/ धर्म परिवर्तन कराने के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस द्वारा ग्राम लबेदा से किये गये गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2025 को ग्राम लबेदा थाना पट्टी, प्रतापगढ़ निवासी वादी के घर के पड़ोस में आरोपीगणों द्वारा विगत कुछ दिन से गांव व आसपास गांव के कुछ व्यक्तियों को एकत्र कर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा था। थाना पट्टी पर वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 299/115 (2)/351 (2) BNSव3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम 03 अभियुक्त नामजद पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार पासवान मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव, का0 केहरी सिंह, का0 सोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना, दबिश के दौरान थाना पट्टी के मु0अ0सं0 75/25 धारा 299/115 (2)/351 (2) BNSव3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. रामसकल यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम बेहटा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 2. मोनू कुमार पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम लबेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 3. सोनू उर्फ जयप्रकाश पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम लबेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम लबेदा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रामसकल यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम बेहटा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मोनू कुमार पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम लबेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
3. सोनू उर्फ जयप्रकाश पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम लबेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संतोष कुमार पासवान मय हमराह उ०नि० रोहित यादव, का० केहरी सिंह, का० सोनू कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

उ०नि० व बीट आरक्षी की सतर्कता से 03 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना पट्टी के उ०नि० व आरक्षियों ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

उ०नि० ओमप्रकाश सिंह, आरक्षी प्रदीप मौर्या, आरक्षी धर्मेन्द्र यादव, महिला आरक्षी रिकी सोनकर ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना पट्टी के उ०नि० ओमप्रकाश सिंह, आरक्षी प्रदीप मौर्या, आरक्षी धर्मेन्द्र यादव, महिला आरक्षी रिकी सोनकर को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरेभीखा चौराहे के पास से गैंगस्टर 1- शौकत अली पुत्र इसराइल, 2- शेबू पुत्र मोहरर्म अली, 3- 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर गोवध, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में बहादुर उ०नि० ओमप्रकाश सिंह, आरक्षी प्रदीप मौर्या, आरक्षी धर्मेन्द्र यादव, महिला आरक्षी रिकी सोनकर के सहयोग से आज दिनांक 24.03.2025 को थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 76/2025 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 03 वांछित अभियुक्तों, 1- शौकत अली पुत्र इसराइल निवासी ग्राम रायगढ़ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 2- शेबू पुत्र मोहरर्म अली निवासी ग्राम रायगढ़ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 3- 01 अभियुक्ता को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरेभीखा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- शौकत अली पुत्र इसराइल निवासी ग्राम रायगढ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

2- शेबू पुत्र मोहरम अली निवासी ग्राम रायगढ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

3- 01 अभियुक्त ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शौकत अली पुत्र इसराइल निवासी ग्राम रायगढ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 545/2023 धारा 3/ 5/ 8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

02. मु0अ0सं0- 14/2019 धारा 147, 148, 323, 352, 427, 504, 506, भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

03. मु0अ0सं0- 88/2003 धारा 323, 324, 325, 504 भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

04. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

अभियुक्त शेबू पुत्र मोहरम अली निवासी ग्राम रायगढ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 545/2023 धारा 3/ 5/ 8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

02. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ ।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री नवरंग वर्मा मय हमराह का0 विपिन कुमार, का0 सचिन भदौरिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 100/17 व अ0सं0 198/2013 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3 (1) X SC / ST थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त जय सिंह पटेल पुत्र वंशीलाल पटेल निवासी ग्राम मालाधर छत्ता थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जय सिंह पटेल पुत्र वंशीलाल पटेल निवासी ग्राम मालाधर छत्ता थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री नवरंग वर्मा, मय हमराह का0 विपिन कुमार, का0 सचिन भदौरिया थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 230/03 मु0अ0स0 210/02 धारा 325/323/504 भादिव थाना अन्तु जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र वर्मा पुत्र रामसरन वर्मा निवासी ग्राम सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेन्द्र वर्मा पुत्र रामसरन वर्मा निवासी ग्राम सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।